कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल

क्रं./नर्सिंग होम/2026/18233 भोपाल दिनांक 31../08../2026

प्रतिवेदन

विषयः–सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल शिवाजी नगर भोपाल के पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण के संबंध में।

संदर्भः–1. इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी मप्र राज्य शासन रेड क्रॉस भवन शिवाजी नगर भोपाल के पत्र क्रमांक/आईआरसी/2026/317 दिनांक 03.06.2026
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/2026/12526 भोपाल दिनांक 18.06.2026
3. सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल शिवाजी नगर भोपाल द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर (इस कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 25.06.2026)
4. कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रंमांक/शिकायत/2026/14036 दिनांक 07.07.26
5. जांच समिति अध्यक्ष एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 31.08.2026

प्रकरण की पृष्ठभूमि :– सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल शिवाजी नगर भोपाल जिसका पंजीयन क्रं. NH/286/March 15 एवं अनुज्ञप्ति क्रं. NH/286/March 15 है। वर्तमान में सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल शिवाजी नगर भोपाल डॉ. सुबोध वार्ष्णेय द्वारा संचालित है। इस कार्यालय को संदर्भ क्रमांक 01 के माध्यम से प्राप्त शिकायत के संबंध में कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक/2026/12526 भोपाल दिनांक 18.06.2026 के माध्यम नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। पत्र में उल्लेख किया गया था कि प्रतिउत्तर समय–सीमा में एवं असमाधानकारक न पाये जाने की स्थिति में मप्र उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) नियम 1973 में निहित प्रावधान अनुसार पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी एवं इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संदर्भ 3 में उल्लेख अनुसार आपके द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किये गए उत्तर के परीक्षण हेतु कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रं/शिकायत/2026/14036 भोपाल दिनांक 07.07.2026 के परिपालन में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जयप्रकाश जिला चिकित्सालय, भोपाल की अध्यक्षता में गठित जांच दल द्वारा प्रतिउत्तर का परीक्षण एवं दिनांक 31.08.2026 को आपके अस्पताल का भौतिक निरीक्षण किया गया।

गठित निरीक्षण दल द्वारा उक्त नर्सिंग होम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उददेश्य नर्सिंग होम में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा एवं नर्सिंग सेवायें, मानव संसांधन, अभिलेखों, औषधि प्रबंधन, सक्रंमण नियत्रंण, आपातकालीन व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा, जैव चिकित्सीय अवशिष्ट प्रबंधन उपकरणों तथा अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत निर्धारित अन्य व्यवस्थाओं का परीक्षण करना था।

1. निरीक्षण में पाई गई प्रमुख कमियॉ

1. मुख्य द्धार के अंदर दाहिने तरफ के कक्ष जिसमें इमरजेंसी रूम चिन्हांकित था जिसमें मरीजों के ब्लड सेम्पल लिये जा रहें थे वहा पर न तो कोई चिकित्सक इलाज हेतु उपलब्ध था न ही इमरजेसी में मरीजों का परीक्षण किया जा रहा था। उसका उपयोग केवल एक ब्लड सेम्पल कलेक्टिंग कक्ष की तरह हो रहा था जिससे कि आने वाले गंभीर मरीजों को भ्रम में डाल सकता है एवं आकस्मिक सेवाओं में विलंब हो सकता है। उक्त कक्ष में डीफिब्रीलेटर भी नहीं था। उक्त कक्ष में उपलब्ध crash cart esa Emergency medicine drawer निरीक्षण के समय लॉक था। ड्रायज एरिया में ड्रेसिंग हेतु बेड लगा था तथा ड्रेसिंग की जा रही थी।

चिकित्सालय में पार्ट टाईम सेवायें दे रहें चिकित्सकों के सूचना पटल अनुसार प्रत्येक बाह्यरोगी कक्ष में चिकित्सक की उपलब्धता नहीं थी। ओ.पी.डी कक्ष क्र-01 में डॉ. राहुल पेसवानी, अस्थिरोग विशेषज्ञ उपलब्ध थे, जबकि सूचना पटल में उनके नाम के सम्मुख समय अंकित नहीं था न ही उनकी विशेषज्ञता उल्लेख थी।

3. अन्य ओ.पी.डी कक्ष में भी चिकित्सकों की उपलब्धता सूचना पटल में अंकित समय अनुसार नहीं थी जिससे कि बाह्यरोगियों को इलाज में विलंब होने से परेशानी का सामना संभावित है।
4. मुख्य द्वार के बाये तरफ डायलिसिस कक्ष अंकित था जिसमें 07 बिस्तर थे प्रत्येक पर मरीज की डायलिसिस चल रहीं थी। लेकिन उक्त कक्ष में कोई भी चिकित्सक ड्यूटी पर नहीं था केवल 02 डायलिसिस टेक्नीशियन थे। किसी भी मरीज भी मरीज के पास सीरोलॉजी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। मरीजो को प्रदाय की जाने वाली डायलिसिस सुविधा के अनुसार उक्त कक्ष में सीरो पॉजीटिव केस के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी न ही उस हेतु पृथक से कोई डायलिसिस मशीन चिन्हांकित थी। डायलिसिस टेक्नीशियन के रूप में नीरज शर्मा व सुरेश वासुनिया नामक व्यक्ति कार्यरत थे परंतु उनके पास आवश्यक अर्हता के प्रमाण-पत्र चिकित्सालय द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के समय उपलब्ध नहीं कराये गये। प्रशिक्षु के रूप में वंदना पटेल नाम की महिला उस कक्ष में ड्यूटी कर रही थी। उनके द्वारा बताया गया कि वे Carier institute of medical sciences की विद्यार्थी है जिसकी की उन्होने कोई भी आई.डी प्रूफ उपलब्ध नहीं कराया था जिससे कि संदेहस्पद स्थिति उत्पन्न होती है। डायलिसिस के री-प्रोसेसिंग एरिया में एन.ए.बी.एच. के अनुरूप Full Accreditation प्रमाण-पत्र के अनुरूप हाईजिन एवं इन्फोक्शन कंट्रोल मानक स्तर का नहीं थी। आयुष्मान योजना के अंतर्गत भर्ती मरीजों को प्रत्येक 03 महीने में किये जाने वाला seropositive (HIV/HBV /HCV) के रिकोर्ड फाईल में उपलब्ध नहीं है। ना ही संबंधित रोग विशेषज्ञ के मॉर्निंग नोट्स लिखे गए थे।
5. डायग्नोस्टिक इमेजिंग कार्यक्षेत्र में (डायग्नोटिक एक्स-रे /सोनोग्राफी /पी.इ.टी स्केन/ सी.टी) कार्य क्षेत्र में मोबाइल एक्स-रे यूनिट द्वारा अप्रशिक्षित स्टॉफ रोशन मालवीय द्वारा एक्स-रे किए जा रहे थे तथा अत्यंत संकीर्ण कमरे सुरक्षात्मक लेड अप्रिप्न व थायरॉइड कालर नहीं लगाया था तथा सुरक्षात्मक लेड अप्रिन तथा वेटिंग मरीज को भी एक्स-रे करते समय रूम में ही बैठाया गया था, जो मरीजों की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही दर्शाती है। ए.ई.आर.बी (एटोमिक एनर्जी रेग्यूलेशन बोर्ड) के मापदण्डो अनुसार एक्स-रे रूम में एक्स रेडियेशन के बचाव की व्यवस्था नहीं थी। केवल प्लाई के पार्टिशन से ही कक्ष को बनाया गया है। साथ ही वहा पर एक्स-रे का रिकार्ड फाईल उपलब्ध नही थी
6. टी.एम.टी (स्ट्रेस टेस्ट) कक्ष में आवश्यक इमरजेंसी के इलाज हेतु डीफिब्रेलेटर उपलब्ध नहीं था। पूर्व में किये गये मरीजों की टी.एम.टी का अनुमति पत्र अपूर्ण था उसमें उम्र तक अंकित नहीं थी जो कि टी.एम. टी के मरीजों की जांच के लिये अति-आवश्यक मापदण्ड है। उक्त कक्ष में उपस्थित ई.सी.जी टेक्नीशियन द्वारा बताया गया कि उक्त कक्ष में टी.एम.टी जांच का कार्य डॉ. गिरीश राजपाल द्वारा की जाती है।
7. PET-CT स्केन रुम में विकरण के दुष्प्रभाव को रोकने हेतु ए.ई.आर.बी (एटोमिक एनर्जी रेग्यूलेशन बोर्ड) के मापदण्डो का पालन नहीं किया जा रहा था। PET-CT स्केन रुम व कन्सोल रूम को केवल ग्लास पेनल के द्वारा विभाजित किया गया था। पेट स्केन रूम को स्टोरेज रूम जैसा इस्तेमाल किया जा रहा था जिसमें डस्टबीन भी रखी हुई थी तथा मरीज का चेजिंग रूम रेडियो हजार्ड चिन्हित रूम में था जिसका क्षेत्रफल लगभग 4X4 फीट था। रेडियो हजार्ड क्षेत्र के अंदर हॉट लेब डिस्पेनिंग रूम रेडियो एक्टीव सोर्स रूम में अत्यधिक सीलन पाई गई।
8. आई.सी.यू व आई.सी.सी.यू के बीच संक्रमित मरीजों के लिए दो केबिन बनाए गये है जिसमें कोई भी संक्रमित मरीज भर्ती नहीं था। उसके स्थान पर असंक्रमित मरीज भर्ती थे। संक्रमित मरीजों को रखने हेतु बनाये गये उक्त कक्ष में चिकित्सालय द्वारा समय-समय पर मापदण्डों अनुसार किये जाने वाले Fumigation का रिकार्ड एवं समय-समय पर करायी जाने वाली कल्चर रिपोर्ट का रिकार्ड उपलब्ध नहीं था जो कि चिकित्सालय प्रबंधक की इस लापरवाही को दर्शाता है कि संक्रमण की रोकथाम किये बगैर उक्त कक्ष में असंक्रमित मरीजों को रखे जाने से उनको संक्रमण से ग्रसित होने का खतरा है।
9. आई.सी.यू में कार्यरत डॉ. पी.पी मिश्रा (आधार नंबर-904761322097) आर.एम.ओ के रूप में सेवायें दे रहें थे परंतु उनका एम.पी.एम.सी का रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं कराया गया।
10. आई.सी.यू में ड्राय ऑक्सीजन लगातर चल रहा था समस्त हिम्यूडी फायर खाली पाये गये जो कि मरीजों की सुरक्षा के मानको के अनुरूप नहीं है।
11. आई.सी.यू मरीजों की कल्चर रिर्पोट पैथोलॉजिस्ट के द्वारा हस्ताक्षर किया जा रहें है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट की अनुपलब्धता चिकित्सालय द्वारा नहीं दर्शायी गई है।

12. चिकित्सालय की लेब सर्विसेस Viking Health Care द्वारा एम.ओ.यू सिंद्धांता मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, भोपाल दिया गया है, परंतु यह संस्था का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल द्वारा प्रदत्त लांइसेस एवं पंजीयन 31 मार्च 2022 में समाप्त हो चुका है एवं प्रबंधक सिंद्धांता मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, भोपाल द्वारा किया गया एम.ओ.यू 01 जुलाई 2022 से 05 वर्ष तक की वैद्यता रखता है इससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकार का कृत्य कूटरचित की श्रेणी में आता है।
13. एन्डोस्कोपी रूम के अदंर रूम नंबर-206 में किमो थेरेपी मरीजों को सी.टी.व्ही.एस. ऑपरेटेड मरीज के साथ ही भर्ती रखकर उपचार दिया जा रहा था। रशीदा बी, रामदेव गीरि व शारदा बाई तथा मरीज भानूप्रताप को एन्जोग्राफी के आयुष्मान पेंसेट को ऑपन एरिया में रखा गया था। एन.ए.बी.एच फूल एक्रीडेशन के नियमों का उल्लंघन है।
14. सेंटर फार्मासी स्टोर में साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को इमरजेंसी ड्रग्स को एक ही अलमारी में रखा गया था तथा नारकोटिक्स ड्रग्स को डबल लॉक सिस्टम की चाबी एक स्टॉफ द्वारा ऑपरेट किया गया जो कि नियमों डबल लॉकर सिस्टम के नियमों के विरूद्ध पाया गया है।
15. पैथोलॉजी में नॉर्मल सेलाईन को डीप फ्रिज में स्टोर करके रखा गया था। फ्रिज का तापमान रिकार्ड में आज दिनांक 31/08/2026 ईवनिंग तापमान 4.6 सेल्सीयस पहले ही दर्शाया दिया गया था जबकि फ्रिज का डिजिटल थर्मामीटर 2.3 डि.ग्री सेल्सीयस दर्शा रहा था। पैथोलॉजी में पैथोलॉजिस्ट निरीक्षण के समय उपलब्ध नहीं थे।
16. डाग्नोस्टिक सर्विसेस के एम.ओ.यू में सी.टी व पेट स्केन का उल्लेख है परंतु एम.आर.आई, इको एंव यू. एस.जी सर्विसेस को इनहाउस करने हेतु कोई दस्तावेज एवं एम.ओ.यू उपलब्ध नहीं कराया गया।
17. एक्स-रे प्रदत्त एम.ओ.यू में एक्स-रे सेवायें प्रदान करने वाली संस्था का उल्लेख नहीं है मात्र एक हस्ताक्षर व नाम ही उल्लेखित है।
18. फायर सेफ्टी के मापदण्डो अनुसार सिंद्धांता मल्टीस्पिेसिलिटी हॉस्पिटल, भोपाल में चिकित्सालय के अंदर एवं बाहर जाने हेतु केवल एक ही द्वार है एवं इमरजेंसी हेतु कोई भी बाहर निकलने के लिये आपातकालीन सीढ्यिां प्रत्येक तल पर नहीं है जो कि किसी भी आगजनी के समय सुरक्षा उपायो की गंभीर अनियमितता को दर्शाता है। इसकी पुष्टि प्रभारी फायर अधिकारी फायर ब्रिगेड, भोपाल कार्यालय नगर पालिका निगम, भोपाल की दिनांक 22/08/2026 की रिपोर्ट द्वारा की जा सकती है।
19. संस्था द्वारा प्रदाय फायर ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 20/04/2026 के अनुसार दिये गये सुझावों अनुरूप संस्था द्वारा समय-सीमा में सुधार कार्य नहीं कराये गये है एवं मॉकड्रिल का भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे कि प्रतीत होता है कि संस्था प्रबंधक चिकित्सालय में इलाज कराने वाले बाह्य एवं आंतरिक रोगियों की आगजनी की दुर्घटना के बचाव के प्रति संवेदनशील नहीं है।

उक्त कमियॉ केवल प्रक्रियात्मक प्रकृति की न होकर उपलब्ध अभिलेख एवं निरीक्षण निष्कर्षो के आधार पर मरीजों की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण उपचार एवं नर्सिंग सेवाओं तथा निर्धारित वैधानिक मानकों के अनुपालन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित पायी गई।

2. वैधानिक प्रावधान

मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) नियम 1973 की धारा 3 के अनुसार कोई व्यक्ति नर्सिंग होम को बिना वैध पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति के तथा अनुज्ञप्ति की शर्तो के अनुरूप ही संचालित कर सकता है।

अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत यदि पर्यवेक्षण प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि-

(i) अनुज्ञप्ति की शर्तो का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा
(ii) ऐसे आधार विद्यमान है जिनके आधार पर पंजीयन/अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इंकार किया जा सकता था,

तो पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है, साथ ही अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत निरस्तीकरण से पूर्व संबंधित पंजीकृत व्यक्ति को निर्धारित अवधि का नोटिस एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/2026/12526 भोपाल दिनांक 18.06.2026 के माध्यम नोटिस जारी कर पत्र में उल्लेख किया गया था कि प्रतिउत्तर समय-सीमा में एवं असमाधानकारक न पाये जाने की स्थिति में मप्र उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) नियम 1973 में निहित प्रावधान अनुसार पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी एवं इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. प्राधिकारी द्वारा विचार एवं निष्कर्ष

मैंने निरीक्षण रिपोर्ट, उपलब्ध अभिलेख, निरीक्षण के दौरान संकलित दस्तावेज/फोटोग्राफ संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तर्को का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि निरीक्षण के समय पायी गई कमियॉ ऐसी प्रकृति की है जिनसे नर्सिंगहोम द्वारा मरीजों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा एवं नर्सिंग सेवाओं की सुरक्षा एवं वैधानिक मानकों के अनुपालन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि संस्था द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तो तथा अधिनियम/नियमों के अधीन अपेक्षित आवश्यक मानकों का पर्याप्त एवं सतत् अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने के लिये पर्याप्त एवं अभिलेख समर्थित आधार विद्यमान है।

4. आदेश

अतः मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) नियम 1973 की धारा 5, सहपठित धारा 6 एवं लागू नियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

1. **सिद्धांता रेडक्रॉस नर्सिंग होम, भोपाल का पंजीयन क्रं. NH/286/March 15 दिनांक 01.04.2026 अनुज्ञप्ति क्रं. NH/286/March 15 दिनांक 01.04.2026 एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।**
2. **उक्त निरस्तीकरण आदेश के प्रभावी होने की तिथि से संस्था उक्त पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति के आधार पर नर्सिंग होम के रूप में कोई नवीन मरीज भर्ती अथवा चिकित्सा/नर्सिंग सेवा संचालित नहीं करेगी।**
3. **संस्था के वर्तमान भर्ती मरीजों के हित एवं उनकी निरंतर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना संस्था के प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। किसी भी मरीज को ऐसी स्थिति में असुरक्षित रूप से डिस्चार्ज/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जिससे उसके जीवन अथवा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।**
4. **संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि वर्तमान में भर्ती मरीजों के संबंध में आवश्यक चिकित्सा अभिलेख, उपचार सारांश एवं रैफल की व्यवस्था विधिवत की जावें तथा मरीजों को उपयुक्त वैधानिक रूप से पंजीकृत एवं अनुज्ञापित संस्थान में आवश्यकता अनुसार स्थानांतरित किया जावें।**
5. **संस्था द्वारा इस आदेश के पश्चात् अधिनियम के अंतर्गत वैध पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति के बिना नर्सिंग होम का संचालन किया जाना विधि के अनुरूप कार्यवाही को आमंत्रित करेगा।**
6. **संबंधित शाखा को निर्देशित किया जाता है कि पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण एन.एच.एस. एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर किया जावें।**
7. **निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित ऐसी कमियों/उल्लंघन के संबंध में जिनके लिये अधिनियम एवं लागू कानूनों के लिये पृथक दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित हो वह कार्यवाही इस आदेश से स्वतंत्र रूप से की जा सकेगी।**

5. अपील का अधिकार

अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत निर्धारित अवधि की भीतर सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का वैधानिक अधिकार होगा केवल अपील प्रस्तुत किये जाने से यह आदेश स्वतः स्थगित नहीं होगा। स्थगन तभी प्रभावी होगा जब सक्षम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश पारित किया जावें।

यह आदेश उपलब्ध अभिलेखों, निरीक्षण निष्कर्षो, संस्था के उत्तर एवं सुनवाई में प्रस्तुत प्रतिउत्तर के आधार पर स्वतंत्र एवं विचारपूर्ण परीक्षण के पश्चात् पारित किया जा रहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्रं./नर्सिंग होम/2026/18234 भोपाल दिनांक 31/08/2026

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मप्र शासन भोपाल।
2. संचालक/वरिष्ठ संयुक्त संचालक, विनिमयन एवं नीति, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मप्र शासन भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत निरामयम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति भोपाल।
5. आयुक्त नगर निगम भोपाल।
6. संचालक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड म.प्र. भोपाल।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल।
8. संचालक, सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल शिवाजी नगर भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि आदेश में उल्लेखित प्रत्येक बिंदु का पालन सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही से तत्काल अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
9. नोडल अधिकारी, नर्सिंग होम शाखा स्थानीय कार्यालय भोपाल।
10. प्रभारी, शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय भोपाल।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला भोपाल (म.प्र.)